न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 135/2016

जीतो पत्नी मखन सिंह जाति रायसिख निवासी 4 बी बडी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

1. पालो बाई पत्नी दर्शन सिंह
2. पाल कौर
3. कोडा बाई — पुत्रियां दर्शन सिंह — जाति रायसिख निवासीगण 4 बी बडी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. हरभजन कौर
5. हरभजन सिंह पुत्र दर्शन सिंह
6. सुन्दर सिंह पुत्र नाजर सिंह
7. सतनाम सिंह पुत्र हुक्म सिंह
8. मंगल सिंह पुत्र मक्खन सिंह
9. वीरा बाई पुत्री मक्खन सिंह
10. परमेश्वरी बाई पुत्री मक्खन सिंह
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

दिनांक 10.10.2016

उपस्थितिः—

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलांट

श्री प्रेमप्रकाश मक्कड अभिभाषक रेस्पो.

27/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक :– 27.09.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88, 188, 91, 92 का पेश कर कथन किया कि वादीगण 1 व 2 तथा वादी सं. 3 के पिता हुक्म सिंह द्वारा मूल आवंटी मक्खन सिंह से चक 4 बी बडी के मु.नं. 33 के कि.नं. 19 की 1 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 18.01.1980 को खरीदी थी। वादीगण व हुक्म सिंह के जीवन काल से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। कब्जा 12 साल से अधिक का होने से कब्जा प्रतिकूल हो चुका है। अब प्रतिवादीगण के मन में लालच आ गया है और वह प्रतिवादीगण को बेदखल करना चाहते हैं। अतः निवेदन है कि वाद पत्र के अनुतोष की मद क , ख के अनुसार वाद वादी डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 28.02.2011 को एक प्रा.पत्र एक आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया। प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा पेश नहीं करने पर दिनांक 21.07.2015 को जबाब बन्द किया गया। अधी. न्यायालय द्वारा अनुतोष सहित तीन वाद बिन्दु कायम किये गये। सुनवाई करने के पश्चात वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 10.10.2016 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों. का वाद का मुख्य आधार इकरारनामा है जो पंजीकृत नहीं है जिससे रेस्पों. को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। रेस्पो. 2 से 10 विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार हैं जिनके विरूद्ध वाद चलने योग्य नही था। वादी ने प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही थी जो नहीं दी जा सकती थी।

27/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के दावा स्वीकार किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदार घौषित नहीं किया है। मात्र रेस्पों. के कब्जा काश्त पानी के उपयोग एवं उपभोग में विधि विरूद्ध हस्तक्षेप करने एवं अन्यत्र अन्तरित करने के निषिद्ध रहने के आदेश दिये है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील अधी. न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 10.10.2016 के विरूद्ध पेश हुई है। अपील का सार बिन्दु यह है कि अधी. न्यायालय द्वारा इकरारनामा दिनांक 18.01.2001 जो unregistered दस्तावेज था। उसके आधार पर दावा आंशिक रूप से डिक्री किया है जो नियम विरूद्ध किया है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। दावे के निर्णय का आधार इकरारनामा , बय रकबा प्रदर्श दस्तावेज 8 है जिसको पढा जिसकी इबारत है कि " इकरारनामा बैय रकबा – मनके मखनसिंह पुत्र बहादरसिंह जाति रायसिख सा0 पक्की तह0 व जिला गंगानगर राजस्थान का हूँ।

जोकि मिकर के नाम से वाके चक 4 बी बडी तह0 गंगानगर में मु. नं. 33 में कुल 7 बीघा रकबा नहरी का मालिक व काबिज है उक्त रकबा में मिकर अलावा अन्य किसी का कोई हिस्सा वास्ता नहीं है मिकर जायज मालिक वा काबिज है। मिकर को जायज जरूरत खर्च खानगी व अन्य कारोबार के लिए रूपयों की सख्त जरूरत है इसलिए उक्त मु.नं. 33 का कि.नं. 19 यानी 1 बीघा रकबा नहरी बहक श्री हुकमसिंह , सुन्द्रसिंह वा

27/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दर्शनसिंह पिसरान स0 नादरसिंह अकवाम रायसिखान साकिनान पक्की तह0 व जिला गंगानगर को मु0 6000 रूपया में बैय करना तय किया है वा मु. 5600 रूपया पेशगी बसुल पालिया है बाकी रूपया मु0 400 रोबरू सब रजिस्ट्रार श्रीगंगानगर के दिनांक 2 मई 1980 को बसुल करके बैयनामा बहक खरीददारान या जिसके हक में खरीददारान चाह तहरीर वा तस्दीक करवाने का पाबन्द रहूंगा।'' यह इकरारनामा न होकर बेचाननामा है जिसमें विवादित आराजी का 6000/– रूपये बेचान होना जाहिर किया परन्तु दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं है के सम्बन्ध में भारतीय पंजीयन अधिनियम की धारा 17(b) के Mandatory प्रावधानुसार 100 रूपये से ज्यादा का instrument (बेचान दस्तावेज) का पंजीयन अनिवार्य है। इसी अधिनियम की धारा 49 में दस्तावेज पंजीयन के लिए जरूरी है अगर उनका पंजीयन नहीं करवाया जाता है तो '' Effect of non-registration of documents required to be registerd" में उसे साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं किया जा सकता। अतः अधी. न्यायालय द्वारा कानून का उल्लंघन कर वादी (Respodent) को Relief दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है तथा विवादित आराजी अगर अपीलांट के कब्जे में है तो रेस्पों. कब्जा वापसी का दावा अन्तर्गत धारा 183 Tenancy Act करने के लिए भी सक्षम एवं स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

27/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

29-9-17

संशोधन आदेश विवादित आराजी अगर "अपीलाट" के कब्जा पर रेस्पो व "रेस्पो" कब्जा वापसी का दावा "रेस्पो" के कब्जा पर अपीलाट वापसी का दावा अन्तर्गत धारा 183 Tenancy Act करने के लिए भी सक्षम पढ़ा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

जीतो पत्नी मखन सिंह जाति रायसिख निवासी 4 बी बडी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

1. पालो बाई पत्नी दर्शन सिंह
2. पाल कौर
3. कोडा बाई
4. हरभजन कौर

(2 से 4) पुत्रियां दर्शन सिंह

5. हरभजन सिंह पुत्र दर्शन सिंह
6. सुन्दर सिंह पुत्र नाजर सिंह
7. सतनाम सिंह पुत्र हुक्म सिंह
8. मंगल सिंह पुत्र मक्खन सिंह
9. वीरा बाई पुत्री मक्खन सिंह
10. परमेश्वरी बाई पुत्री मक्खन सिंह

(1 से 10) जाति रायसिख निवासीगण 4 बी बडी पक्की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —— रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 135/2016 व नाराजगी डिकी अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम श्रीगंगानगर मुर्ख्ख 10 माह 10 सन् 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 27 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री प्रेमप्रकाश मक्कड अभिभाषक रेस्पों. व श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी. न्यायालय का निर्णय खारिज किया जाता है तथा विवादित आराजी अगर रेस्पों के कब्जे में है तो अपीलांट कब्जा वापसी का दावा अन्तर्गत धारा 183 Tenancy Act करने के लिए भी सक्षम एवं स्वतंत्र है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 29.09.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)